

न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-१३६/2018 राज्य बनाम उत्पाद कुल कांड संख्या:-९०/2016 से अबतक

आदेश की क्रम
सा० और तारीख
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख-सहित
3.

27.09.2018


बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत उत्पाद वाद कुल संख्या:-९०/2016 से दिनांक 25.09.2018 तक में जप्त विदेशी शराब तथा फुट बीयर के विनष्टीकरण हेतु उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 435/३०, दिनांक 20.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न निरीक्षक उत्पाद, खगड़िया, अवर निरीक्षक उत्पाद सदर-सह-चलिष्णु दल एवं अवर निरीक्षक उत्पाद गोगरी-सह-प्रहार बल तथा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद विशेष छापामार दल का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विदेशी शराब-140.59 विदेशी शराब तथा 115.25 लीटर फुट बीयर, शराब उत्पाद, खगड़िया के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।


पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्पाद खगड़िया के मालखाना में रखी गई कुल:-140.59 लीटर विदेशी शराब तथा 115.25 लीटर फुट बीयर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए उत्पाद वाद खगड़िया में दर्ज कुल कांड संख्या:-९०/2016 से अबतक कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल-140.59 लीटर विदेशी शराब तथा 115.25 लीटर फुट बीयर को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/निरीक्षक उत्पाद खगड़िया/अवर निरीक्षक, उत्पाद सदर-सह-चलिष्णु दल, खगड़िया/अवर निरीक्षक गोगरी-सह-प्रहार बल तथा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद विशेष छापामार, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।


समाहर्ता खगड़िया।


समाहर्ता, खगड़िया।


क्रम स०
और तारीख
1.

02.

गइ कारवाई क
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित
03.

डी०बी० नं० 576 / विधि, दिनांक 27-9-18
प्रतिलिपि:- उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया / निरीक्षक उत्पाद खगड़िया
/ अवर पिरीक्षक उत्पाद सदर-सह-चलिष्णु दल, खगड़िया / अवर पिरीक्षक
गोगरी-सह-प्रहार बल तथा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद विशेष छापामार, खगड़िया
को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को
सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा
की जाय।


प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।